केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 167 शुक्रवार 10 जनवरी 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

किसान सम्मेलन 10 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सहकारी संघ चिलमा परसन द्वारा 10 जनवरी शुक्रवार को दुबौलिया बाजार के राम विवाह मैदान मे किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

यह जानकारी देते हुये डायरेक्टर जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड बाबूराम सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह तथा विशिष्ट अतिथि आशीष श्रीवास्तव सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, बाबूराम मौर्य जिला कृषि अधिकारी के साथ शुभम विश्वकर्मा क्षेत्रीय प्रबंधक इफको बस्ती है। सम्मेलन में अतिथियों द्वारा मुख्य रूप से नैनो यूरिया एवं नैनो डी ए पी के गुणकारी प्रयोग एवं व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी दी जायेगी। बताया कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान हिस्सा लेंगे।

वाहन चालक का हत्यारोपी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वर्ष 2010 में चार पहिया वाहन की बुकिंग कराकर उसके चालक की अंबेडकरनगर में हत्या कर शव छिपाने के मामले में वांछित आरोपी चंदू को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कप्तानगंज पुलिस की मदद से अंबेडकरनगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथ ले गई। न्यायालय की ओर से उसे सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन वह फरार चल रहा था। तीन अन्य हत्यारोपी जेल जा चुके हैं। घटना आठ अगस्त 2010 की है। पुलिस के मुताबिक वॉल्टरगंज थानाक्षेत्र के गनेशपुर निवासी रामरक्षा यादव बुकिंग पर बोलेरो चलाते थे। कटरी गांव निवासी चंदू, सोनम, गनेशपुर गांव निवासी झिनकान और पिंटू गुप्ता निवासी चिलुआताल गोरखपुर ने सुनियोजित तरीके से उसकी गाड़ी बुक कराई। इसके बाद अंबेडकरनगर चालक की हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस की जांच में चारों के नाम प्रकाश में आए थे। रामरक्षा हत्याकांड के चारों आरोपियों को न्यायालय से सजा मिल चुकी है। तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। आरोपी चंदू पेशी पर न आकर फरार हो गया था। न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

अंबेडकरनगर जिले की टांडा कोतवाली के उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल विनोद मिश्रा और कांस्टेबल अभय गुप्ता ने बस्ती के कप्तानगंज थाने के उप निरीक्षक ओमप्रकाश पासवान और कांस्टेबल रमेश चौहान की मदद से चंदू उर्फ गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अंबेडकरनगर पुलिस चंदू को साथ ले गई है।

जमीनी विवाद के मारपीट के मामले में 8 पर मुकदमा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पुरानी बस्ती पुलिस ने भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना में आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बायपोखर की गायत्री देवी का आरोप है कि वह अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थी।

विपक्षियों ने एकराय होकर घर में घुसकर मारापीटा। इसमें गायत्री, मंजू, पूजा व मोनी को चोट आई। मारपीट के दौरान मंजू देवी का सोने का मंगलसूत्र, मोनी के कान का झाला व पूजा की नथुनी छीन लिया और जान से मारने की धमकी दी। एसओ महेश सिंह ने बताया कि गांव के शिवप्रसाद, कौशल, ओमप्रकाश, लक्ष्मण, कौलेश्वर, फूलचंद्र, पंकज व शुभम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विवेचना में बीएनएस 134, 333 का होना नहीं पाया गया। इसे मुकदमे से हटा दिया गया है।

योगी सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों पर मांगी रिपोर्ट

लखनऊ (आभा)। प्रदेश की योगी सरकार ने संभल में करीब 46 साल पहले हुए दंगे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। संभल में 29 मार्च 1978 को भड़का दंगा कई दिनों तक चली था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इसमें 169 मामले दर्ज किए गए थे। हालात इतने गंभीर थे कि शहर में दो महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। आधिकारिक तौर पर दगे में 24 लोगों की मौत बताई गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने कहा था कि संभल में 1978 के दंगों के दौरान 184 लोगों को सामूहिक रूप से जिंदा जला दिया गया था और कई लोग बेघर हो गए थे।

ताजा रिपोर्ट मांगने के कदम से अटकलें लगाई जाने लगीं कि दंगों की जांच फिर से होने की संभावना है। लेकिन संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इसे गलत खबर बताया। उन्होंने कहा कि तब मुरादाबाद का हिस्सा रहे संभल शहर में 1978 में हुए दंगों पर राज्य सरकार ने एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा के पत्र के बाद गृह विभाग के दंगों पर आख्या मांगी है।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि संभल पुलिस को गृह मामलों के उप सचिव और पुलिस अधीक्षक (मानवाधिकार) से इस बारे में एक पत्र मिला है। इसके बाद एसपी संभल ने एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र को नामित करते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया को भी पत्र लिखकर किया अधिकारी को नामित करने के लिए कहा था ताकि संयुक्त रिपोर्ट बनाकर भेजी जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले गृह विभाग के एक पत्र में सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा नियम 115 के तहत जारी नोटिस के जवाब में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

इसके अलावा बुधवार को मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय सिंह ने भी संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड सौंपने को कहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि मामले की गहन जांच और समीक्षा हो सकती है। एक सप्ताह में रिपोर्ट देने की तैयारी हो चुकी है।

11 को घना कोहरे के बीच बारिश का संकेत

लखनऊ (आभा)। यूपी समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों तक घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने वाला है। साथ ही, तेज हवाओं की जवह से उत्तर पश्चिम भारत में 10–12 जनवरी के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 11 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 11 और 12 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में 10–12 जनवरी के बीच बरसात होने जा रही है।

स्कूल में मिली जलती लाश से हड़कम्प

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के धौरहरा गांव में एक बंद पड़े स्कूल के कैंपस में एक लाश मिली है। लाश के पास पटरा–बल्ली की लकड़ी भी रखा मिला। स्कूल में जलते शव को गांववालों ने गुरुवार की सुबह आठ के बजे के करीब देखा। जल रहे शव का केवल मध्य भाग ही बचा हुआ है। पास में विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक जामवंत शर्मा का चप्पल मिला। बेटी और पत्नी का दावा है कि यह शव उनके परिजन का है। उनके गले में चाभी का गुच्छा रहता था, जो मौके पर है और चप्पल भी उन्हीं का है।

जलता हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर सीओ सदर सत्येन्द्र भूषण, एसओ वाल्टरगंज उमाशंकर त्रिपाठी, एसओ रुधौली विजय कुमार दूबे, चौकी प्रभारी मनौरी, चौकी प्रभारी विशुनपुरवा, फोरंसिक टीम पहुंची हुई है। पुलिस तथ्यों के आधार पर साक्ष्य जुटा रही है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच होने तक यह कहना मुश्किल है कि शव किसका है। यह जांच बाद ही शव की शिनाख्त होगी। अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि शव किसका है।पुलिस ने यह भी बताया कि जामवंत शर्मा पर करीब 10 वर्ष पहले एक डॉक्टर की हत्या का आरोप था, जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और वह जेल भी गया था।

केन्द्रीय टीम ने किया क्षय रोग अभियान की सघन जांच

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तत्वाधान में चल रहे 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की जांच करने केंद्रीय टीम गुरूवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हर्रैया एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर अमारी एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट अमारी पहुंची। केंद्रीय टीम में विश्व डॉ ज्योती एवं समृद्धि ने अभियान की जांच की।

टीम ने सीबीनाट साइड, लैब, माइक्रोप्लान, एक्सरे रूम, इंट्री के साथ साथ एमएमयू एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर अमारी में आशा द्वारा भरे गए प्रपत्र को देखते हुए आशा एवं सीएचओ से वल्नरेबल जनसंख्या की विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं एक्सरे नाट जांच के बारे में पूछा। वही वल्नरेबल जनसंख्या से आये लोगों से भी बात कीं। टीम ने सैम्पल ट्रांसपोर्टरशन, नाट साइट, लाइन लिस्ट, माइक्रोप्लान, इनरोलमेंट की जांच की।

इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डा ए के गुप्ता, अधीक्षक डा बृजेश शुक्ला, डा आर के सिंह, एमओटीसी डा नंद लाल यादव, डब्ल्यू एचओ ओ सलाहकार डा मोइन अख्तर, जिला कार्यक्रम समन्वयक अखिलेश चतुर्वेदी, डीपीटीसी संदीप श्रीवास्तव, एसटीएस राहुल श्रीवास्तव, एसटीएलएस संजय कुमार पाण्डेय, सीबीनाट एलटी सचेत यादव, अंकित सिंह, आदित्य अग्रहरि, एआरओ सत्यव्रत यादव, बीसीपीएम जन्मेजय उपाध्याय, अश्वनी दूबे, पदमाकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।

डीएम ने किया निर्माणाधीन पुल, गौशाला, विद्यालय का औचक निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरा रोहारी एवं ग्राम पंचायत दैजी में मनरेगा कार्यों तथा ब्लॉक कुदरहा के ग्राम शिवपुर में गौशाला एवं कुआनो नदी पर स्थित गुनार कछुआरे घाट पर सेतु निगम के निर्माणाधीन पुल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम गौरा रोहारी एवं ग्राम पंचायत दैजी में मनरेगा कार्यों को देखा और पाया कि प्रथम में विद्यालय की बाउंड्री एवं द्वितीय में चकमार्ग पर मिट्टी का कार्य चल रहा है। ईंट का ध्वनि परीक्षण सही पाया गया। ड्राप परीक्षण में कुछ ईंट टूटी पर अधिकांश अक्षत रहीं। कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया तथा दोनों स्थलों पर आनलाईन उपस्थिति मार्किंग की व्यवस्था देखा। विद्यालय की बाउंड्री का कार्य सूचना पट्ट के अनुसार 9 जनवरी पूर्ण होना था, पर अभी 2–3 दिवस का कार्य शेष बताया गया है।

ब्लॉक कुदरहा के ग्राम शिवपुर गौशाला के निरीक्षण में उन्होने पाया कि सामान्य रखरखाव ठीक है। वर्तमान में ब्रिक सोलिंग का कार्य चल रहा है। ठंड के लिए तिरपाल के पर्दे लगे पाये गये, हालांकि धूप होने के कारण पर्दे हटाए गए है, अलाव भी उपलब्ध है। दैनिक पंजिका में पशु संख्या ठीक थी परन्तु पंजिका पर पंचायत के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कुछ ही दिवसों पर थे एवं पशु चिकित्सा विभाग के कोई हस्ताक्षर नहीं थे। इस स्थिति पर उन्होने दोनों लोगों को सचेत करते हुए कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है। उन्होने पाया कि गौशाला से लगे भूमि पर बरसीम, जई एवं सरसों की बड़ी फसल लगाई गई है तथा उसके कुछ भाग से फसल काट कर हरे चारे में उपलब्ध भी कराया जा रहा है। इस कार्य पर उन्होने प्रसन्नता व्यक्त किया।

ब्लॉक कुदरहा मे कुआनो नदी पर स्थित गुनार कछुआरे घाट पर सेतु निगम के निर्माणाधीन पुल के निरीक्षण में उन्होने पाया कि मार्च 2025 में पूर्ण होने के दृष्टिगत कार्य समयान्तर्गत लग रहा है एवं स्ट्रक्चर पूरा है। उन्होने पाया कि सड़क अर्थात पुल पर सीसी रोड एवं एप्रोच का कार्य बाकी है। अवगत कराया गया कि भूमि अध्याप्ति का कोई प्रकरण शेष नहीं है। ग्रामवासियों ने निर्माण के कारण नदी की धारा में परिवर्तन एवं उससे होने वाले कटान की शिकायत की। सेतु निगम के सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया कि उनके एस्टीमेट में बोल्डर वर्क है एवं वे उसे उचित तरीके से करवाते हुए कटान का समाधान करेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयदेव सी.एस. सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

महाकुंभ में प्रतिदिन एक लाख लोगों में प्रसाद का वितरण करेगा अडाणी समूह

प्रयागराज (आभा)। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में महाप्रसाद सेवा का आयोजन किया है। इस सेवा के तहत प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा, जिसमें 18,000 सफाई कर्मी भी शामिल होंगे। महाप्रसाद में रोटी, दाल, चावल, सब्जियां और मिठाई शामिल होंगी। इसके अलावा, अडानी ग्रुप विशेष रूप से दिव्यांग, बुजुर्ग और बच्चों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें मेले में आने–जाने में सुविधा हो सके।

अडानी ग्रुप ने गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के साथ भी एक साझेदारी की है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ 'आरती संग्रह' पुस्तकों की छपाई की जाएगी। इस आरती संग्रह में शिव, लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, दुर्गा और अन्य देवी–देवताओं को समर्पित भक्ति गीत शामिल हैं। इन पुस्तकों को महाकुंभ मेले में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वर्ष महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसे 6,382 करोड़ रुपये के बजट में आयोजित किया जा रहा है।

महाकुंभ मेला 30 से 45 दिनों तक चलेगा। यह 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होगा। प्रमुख स्नान तिथियों में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान (उद्घाटन दिवस), 15 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान (शाही स्नान), 3 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान (शाही स्नान), 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान (समापन दिवस) शामिल हैं।

हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। यह अपने आप में सबसे भव्य आयोजन माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी माना जाता है, जिसमें विश्वभर से लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

ठंड से न होने पाये गोवंश की मौत

लखनऊ (आभा)। प्रदेश कें बरेली के गौशाला में गायों की ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे लेकर खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की ठंड के कारण मृत्यु न हो। इसके लिए प्रदेशभर के गौ आश्रय स्थलों पर त्रिपाल, अलाव, चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है।योगी सरकार ने पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से गौ आश्रय स्थलों का दौरा करें और वहां गौवंश के उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा, औषधि एवं देखभाल सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर गौ आश्रय स्थल पर कार्यरत केयरटेकर रात में वहीं रुकें ।

मुंगेली स्टील प्लांट में बड़ा हादसा,साइलो गिरने से कई दबे

मुंगेली (आभा)। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि मुंगेली जिले के स्टील प्लांट में साइलो गिरने से दो मजदूर घायल हो गए जबकि 4 से 5 के दबे होने की आशंका है। मुंगेली के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि घटना जिले के सारागांव इलाके में स्थित एक मेल्टिंग प्लांट में दोपहर के समय हुई। लोहे से बने इस साइलो का इस्तेमाल माल को एक जगह जमा करने के लिए किया जाता है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। अब तक दो मजदूरों को बचाया है। दोनों बुरी तरह घायल हैं। उनको बिलासपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे की चपेट में आए मजदूर साइट पर काम कर रहे थे।

रेलवे की नोटिस के विरोध में व्यापारी धरने पर, बंद रहीं वाल्टरगंज की दूकानें

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज कस्बे में दुकान व आवास तोड़े जाने की रेलवे की नोटिस के खिलाफ व्यापारी लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों ने गुरुवार को कस्बे में सभी दुकाने बंद करके विरोध जताया। वहीं बुधवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। जिला प्रशासन की ओर से संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलने पर व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों के इस आंदोलन में कुछ संगठन भी कूद पड़े हैं। व्यापारियों ने इसे 'गोविंदनगर बचाओ मुहिम का नाम दिया है। व्यापारियों का कहना है कि वह सपरिवार धरने पर बैठेंगे। आम लोगों को भी इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा।

विरोध कर रहे अमरनाथ चौधरी ने बताया की हम सभी हर हाल में दुकाने टूटने नहीं देंगे। कहा कि अचानक 100 साल बाद रेलवे प्रशासन को अपने नाले की याद आई है। कागज में हुई गलती की वजह से रेलवे आज अपना दावा कर रहा है। इस गलती की सजा बाजार वासियों को नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान गोविंद, राजेश, श्याम सुंदर, श्याम बिहारी वर्मा, मो.शमीम, आनंद मोदनवाल, अशोक गुप्ता, रवि मोदनवाल, मो. गयास, दिलीप सोनी, दिलीप मोदनवाल, इकबाल अहमद, शकील, सद्दाम, दद्दन, परमेश्वर गुप्ता, गुड्डू आदि शामिल रहे।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के संरक्षक बने डा. वी.के. वर्मा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की बैठक बी.एन. शुक्ल की अध्यक्षता में कचहरी परिसर स्थित शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ ही होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक, कवि, साहित्यकार डा. वी.के. वर्मा को सर्व सम्मत से समिति का संरक्षक चुना गया।

संरक्षक चुने जाने के बाद डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के बाद उन्हें जो दायित्व मिला है, पूरा प्रयास होगा कि संरक्षक के रूप में समिति को और अधिक गतिशील बनाया जाय। समिति के महामंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा ने कहा कि लाखों मरीजों का उपचार करने का रेकार्ड बनाने वाले डा. वी.के. वर्मा के संरक्षक बनने से निःसन्देह समिति को नई ऊर्जा मिलेगी। साहित्य, सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय डा. वी.के. वर्मा की विनम्रता, समर्पण का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होगा। डा. वी.के. वर्मा के वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का संरक्षक चुने जाने पर मुख्य रूप से यंग बार एसोसिशन अध्यक्ष विनोद भट्ट, साधूशरन शुक्ल, प्रदीप श्रीवास्तव, पेशकार मिश्र, सदानन्द शर्मा, पं. चन्द्रबली मिश्र, बी.के. मिश्र, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, शाद अहमद शाद, कृष्णचन्द्र पाण्डेय, सामईन फारूकी, अरविन्द कुमार चौरसिया, रामयज्ञ मिश्र, दीनानाथ यादव, गणेश प्रसाद, नन्दलाल आदि ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 10 जनवरी 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

डिजिटल दौर में बचपन

आज बच्चों का बचपन मशीनी हो चुका है, तकनीकी युग में बच्चे भी तकनीक के काफी करीब आ चुके हैं। एक समय वह था जब बच्चों के लिए छोटे–छोटे खेल भी खासी अहमियत रखते थे लेकिन जिस तरह तकनीक ने बच्चों के बचपन में घुसपैठ की है उससे बच्चे भी उन्हीं तकनीकी खेलों को जानते और समझते हैं। बच्चे छोटी उम्र से ही कम्प्यूटर के की–बोर्ड पर अंगुलियां दौड़ाना शुरू कर देते हैं। अब उन घरेलू गेम्स की तरफ उनका ध्यान कम ही जाता है। वक्त की रफ्तार में बच्चों की अठखेलियां भी कम ही नजर आती हैं। अब दो से ढाई साल की उम्र में ही यूकेजी और एलकेजी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाते और उन्हें स्कूल का रास्ता दिखा दिया जाता है।

निस्संदेह, डिजिटल दौर ने बच्चों के जीवन को गहरे तक प्रभावित किया है। आज सोशल मीडिया युवाओं के संवाद का अभिन्न माध्यम बन गया है। लेकिन इसके साथ तमाम तरह के जोखिम भी जुड़े हैं, जिनसे किशोरों को बचाने की सख्त जरूरत है। भारत में वर्ष 2023 में लाए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के तहत नाबालिगों के लिये सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिये माता–पिता या अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। निश्चिय ही यह बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक सराहनीय कदम है। दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसे कानून पहले से ही मौजूद हैं। यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के लिये सोलह साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिये माता–पिता की सहमति अनिवार्य है। वहीं यूएस चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट में 13 वर्ष के उपयोगकर्ताओं के लिये कड़े नियम लागू किए गए हैं। दरअसल, इन कानूनों का मकसद नाबालिगों को साइबर बुलिंग, शोषण व गोपनीयता के उल्लंघन से बचाना है। भारतीय कानून में भी इन नियमों का ध्यान रखा गया है। दरअसल, इन प्रावधानों की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है कि पूरी दुनिया में 58 फीसदी किशोर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों के दैनिक उपयोगकर्ता हैं, जो नुकसानदायक सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में दिल्ली के एक व्यक्ति ने डिजिटल माध्यमों की खामियों का लाभ उठाते हुए सात सौ से अधिक महिलाओं को स्नैपचौट का उपयोग करके ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था।

इसी तरह इंस्टाग्राम पर धमकाने के बाद ब्रिटेन में एक किशोर की दुखद आत्महत्या ने सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की घातकता को बताया। दरअसल, भारत के प्रस्तावित नियम भी सोशल मीडिया कंपनियों को मजबूत उपायों के जरिये माता–पिता की सहमति से जवाबदेह बनाने का प्रयास ही है। जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में भागेदारी में मार्गदर्शन करने का अधिकार मिल सके। इन नियमों को फुलप्रूफ बनाने में एआई संचालित आयु सत्यापन, डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएं आयोजित करने और इसके साथ ही पारदर्शी शिकायत तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन उपायों की नियमित निगरानी, हितधारकों की प्रतिक्रिया तथा वैश्विक मानकों के साथ तालमेल से इस ढांचे को प्रभावी बनाया जा सकेगा। निस्संदेह, इन नियमों के अनुपालन से भारत में बच्चों के लिये सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के साथ ही वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया जा सकता है। ऐसे वक्त में जब आज डिजिटल दुनिया से जुड़ाव अपरिहार्य है, बच्चों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता बनाना न केवल एक जिम्मेदारी है, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। इस दिशा में स्थायी परिवर्तन के लिये माता–पिता, शिक्षक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर तालमेल बनाना वक्त की जरूरत है। साथ ही बच्चों को विवेकशील बनाने की दिशा में पहल की जानी चाहिए ताकि वे अपना भला–बुरा समझ सकें। इस दिशा में निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसियों की सजगता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ चुनौती का सामना करने की जरूरत बताता है।

नये चीनी वायरस का बढ़ता खतरा

— ललित गर्ग—

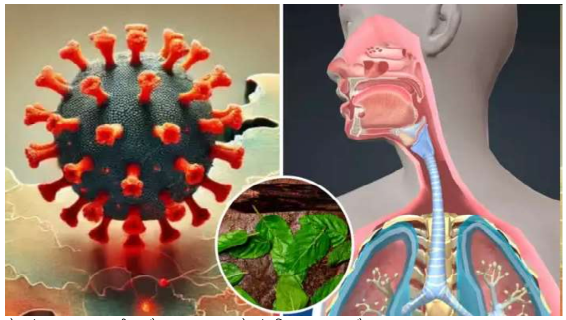

मानव इतिहास की सबसे बड़ी एवं भयावह महामारी कोरोना को झेल चुकी दुनिया पर एक और नये चीनी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के संक्रमण की खबर ने दुनियाभर को चिंता में डूबो दिया है, बाजार से लेकर सामान्य जन–जीवन तक में डर, खौफ, अफरा–तफरी एवं असमंजस्य का माहौल व्याप्त है। कोविड–19 और अन्य श्वसन वायरस की तरह एचएमपीवी भी खांसने, छींकने और संक्रमित लोगों के निकट संपर्क से उत्पन्न बूंदों या एरोसोल के माध्यम से फैलता है। बुखार, सांस फूलना, नाक बंद होना, खांसी, गले में खराश और सिरदर्द इसके सामान्य लक्षण हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों को इस संक्रमण के कारण ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो सकता है। एचएमपीवी के खिलाफ कोई टीका या प्रभावी दवा नहीं है और इलाज ज्यादातर लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए होता है। चीन में सांस की बीमारियों के बढ़ते मामलों की खबरों के बाद, भारत सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ से स्थिति पर लगातार अपडेट देने का अनुरोध किया है।

नये वर्ष में प्रवेश की शुभबेला में एकाएक इस महामारी की खबर से दुनिया भौचक्क एवं खौफ में आ गयी है। क्योंकि कोविड–19 महामारी के पांच साल बाद, चीन मौजूदा समय में नए वायरस एचएमपीवी से जूझ रहा है। इस वायरस ने चीन में हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहां हालात बेकाबू हो रहा हैं, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि, हर बार की तरह चीन का कहना है कि मीडिया खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी–जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामलों में एचएमपीवी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग ज्यादा प्रभावित हुए है। चीन के साथ ही दुनिया के अनेक हिस्सों से इस महामारी से पीड़ित लोगों की खबरें आ रही है। भारत में भी चीन का खतरनाक वायरस एचएमपीवी पहुंच गया है। खबरों की मानें तो बेंगलुरु में 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया है। बच्चे का ब्लड टेस्ट किये जाने के बाद ये दावा किया जा रहा है। यह भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला है। हालांकि, भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई।

चीन में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इन्फ्लूएंजा ए, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएमपीवी मामलों में वृद्धि के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है तथा 40 से 80 वर्ष की आयु के लोग विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। चीन की जिम्मेदार एजेंसियां इस वायरस के दुष्प्रभाव को घटाने में लगी हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि चीन इस रोग पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाएगा। चीन अपने यहां कोरोना वायरस पर भी लगाम लगाने में एक हद तक कामयाब रहा था। लेकिन वह दूसरे देशों में उसे फैलने से नहीं रोक पाया। लेकिन इस बार अब यह उम्मीद करनी चाहिए कि सजग चीन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने यहां से किसी भी संदिग्ध को किसी दूसरे देश की यात्रा न करने दें। साथ ही इस महामारी पर नियंत्रण पाने में जिस विधि एवं उपचार पद्धति से वह सफलता पाये, उसे समूची दुनिया से साझा करें, ताकि महामारी से महाविनाश का प्रकोप व्यापक न बन सके।

एचएमपीवी का संक्रमण व्यक्तिगत संपर्क से बढ़ रहा है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के किसी सामान को कोई स्वस्थ व्यक्ति छुए या उसके सम्पर्क में आये तो संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है। यह वायरस चूंकि नया है, तो इसका अभी कोई टीका नहीं है। इसकी कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं है। यह अच्छी बात है कि अधिकांश मामलों में लोगों को मामूली समस्याएं आ रही हैं। ज्यादातर लोग लक्षण के अनुरूप उपचार और आराम से ही ठीक होते जा रहे हैं। चीन ने साफ तौर पर कुछ बताया नहीं है, मगर अनुमान यही है कि गंभीर मामलों में लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने, ऑक्सीजन थेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर मानें, तो इस वायरस का संक्रमण अक्तूबर महीने से ही बढ़ रहा है। अच्छा यही है कि यह बीमारी मौसमी साबित हो और कम से कम लोगों के जीवन पर असर डाले। कोरोना महामारी तो महाविनाश का कारण बनी थी, एचएमपीवी ऐसा अनर्थ ना करें।

चीन की साख कोरोना महामारी के कारण बहुत गिरी थी, दुनियाभर में लोगों के स्वास्थ्य पर हमला करने वाला चीन दुनिया की नजरों से गिर गया था। आखिर चीन अच्छी–अच्छी वस्तुओं, तकनीक एवं साजोसामान का निर्यात करते–करते महामारियों का निर्यातक क्यों बन गया? स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक क्रांति के लिये अग्रणी चीन अपने यहां आए दिन हो रहे ऐसे संक्रमण को लेकर सजग क्यों नहीं है? अब यह सवाल बिल्कुल जायज है कि वैज्ञानिक या कृत्रिम तरक्की की होड़ में कहीं चीन अपने लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य की अनदेखी तो नहीं कर रहा है? कहीं चीनियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त या बहुत कम तो नहीं हो गई है? वे बार–बार किसी–न–किसी प्रकार की महामारी की चपेट में आ रहे हैं और सम्पूर्ण मानव जाति को इससे पीड़ित बना रहे है तो यह गंभीर बात है। क्या इसका बड़ा कारण चीनी लोगों को खान–पान है? जरूरत से ज्यादा सुविधावादी जीवनशैली, कृत्रिम संसाधनों की प्रचुरता एवं अप्राकृतिक जीवन उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है।

ध्यान रहे कोरोना महामारी के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका संतोषजनक नहीं थी। कोरोना महामारी की भयावहता के बावजूद वह चीन के प्रति उदार बना रहा। इसलिये एचएमपीवी महामारी के सन्दर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ गंभीरता दिखाते हुए पर्याप्त कदम उठायेगा? क्या उसने कोरोना महामारी के समय चीन से सही सवाल पूछे होते तो इस बीमारी के संभावित खतरे को नियंत्रित किया जा सकता था? क्या कोरोना बीमारी को लेकर विश्व को समय से सलाह न दे पाने में नाकाम रहने के लिए उसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? इस नयी महामारी को लेकर भी इन्हीं कारणों से डब्ल्यूएचओ पर ज्यादा विश्वास कैसे किया जा सकता है? भारत में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ.अतुल गोयल ने शुक्रवार को कहा कि एचएमपीवी एक सामान्य सांस संबंधी वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। कुछ लोगों को, खासकर बुजुर्गों और शिशुओं को, फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यह कुछ गंभीर या चिंताजनक नहीं है।' डॉ. गोयल ने भले से मनोवैज्ञानिक तरह से एचएमपीवी वायरस को गंभीर न बताकर इसके आतंक को कम कर दिया है, सरकार भी इस महामारी को लेकर सतर्क है, लेकिन फिर भी इस नये वायरस की त्रासदी एवं संकट से जूझ रहे विश्व–मानव को सावधान रहना चाहिए। विभिन्न देशों की सरकारों एवं डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना है। हर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो और महामारी का शिकार होने पर हर व्यक्ति को अच्छे प्रकार के इलाज की अच्छी सुविधा मिल सके, ऐसे प्रयास करने है। इक्कीसवीं सदी की पहली रजत जयन्ती वर्ष की शुरुआत नये वायरस की महामारी के रूप में एक वैश्विक त्रासदी के साथ होना दुःखद है। ऐसी त्रासदी जो विश्व की बड़ी सत्ताओं को मानव कल्याण की नीतियों को अपनाने एवं इंसान को अपने जीवन मूल्यों और जीवनशैली पर पुनर्चिंतन करने को मजबूर कर रही है और उनका आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त कर रही है।

हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का खतरा

—जयसिंह रावत—

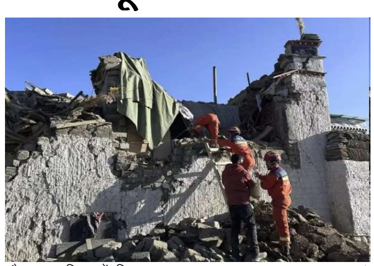

नये साल के पहले सप्ताह में तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र में 7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके उत्तर भारत और हिमालयी राज्यों में महसूस हुए। यह भूकंप इन क्षेत्रों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि हिमालयी राज्य भूकंपीय संवेदनशीलता के लिहाज से जोन पांच और चार में आते हैं, जो सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। भूकंप वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र में 8 तीव्रता का बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिससे भारती के अंदर बहुत अधिक भूगर्भीय ऊर्जा जमा हो चुकी है। यह ऊर्जा कभी भी घातकता के साथ निकल सकती है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सतर्कता और जागरूकता से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट में 8 जनवरी के दिन सिक्किम में 2.8 से लेकर 4.9 तीव्रता तक के 24 भूकम्पों के रिकार्ड किये जाने का उल्लेख है। 7 जनवरी को भी इतने ही भूकम्प सिक्किम में दर्ज हुए थे। इस साल पहली जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक मणिपुर, हिमाचल प्रदेश के डोडा, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और गुजरात के कच्छ आदि में दर्जनों भूचाल दर्ज हुए। लोकसभा में 6 दिसम्बर, 2023 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार उत्तर भारत और नेपाल में आने वाले भूकम्पों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी नेपाल में अल्मोड़ा फॉल्ट का सक्रिय होना है। वैज्ञानिक पहले ही एमसीटी जैसे भ्रंशों के आसपास खतरे की चेतावनी देते रहते हैं।

भारत का हिमालयी क्षेत्र अपनी भूगर्भीय रचना के कारण सदैव भूकंप से अत्यधिक प्रभावित रहा है। हिमालयी क्षेत्र भौतिक दृष्टि से पृथ्वी की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है। हिमालय को सबसे युवा और नाजुक पहाड़ माना जाता है। यह क्षेत्र यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के बीच स्थित है, जहां दोनों प्लेटें एक–दूसरे से टकराती हैं। यह टक्कर ही भूकंप के मुख्य कारणों में से एक है। भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक द्वीप था जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले एशिया के साथ टकराया और इस प्रक्रिया में हिमालय का निर्माण हुआ। इस टक्कर के कारण पृथ्वी की सतह पर तीव्र दबाव और तनाव उत्पन्न हुआ, जो अब भी भूकंप का कारण बनता है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर निरंतर जारी है, परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में भूगर्भीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो अचानक भूकंप के रूप में पृथ्वी की सतह को हिलाती है। हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां भूमि की संरचना में लगातार परिवर्तन हो रहा है। भूकंप के झटके इन पहाड़ों की संरचना में उथल–पुथल पैदा करते हैं। पहाड़ी इलाकों में खनन, जलविद्युत परियोजनाएं और अन्य निर्माण गतिविधियां भी भूकंपीय गतिविधियों को उत्तेजित कर सकती हैं। इन गतिविधियों से भूमि के भीतर दबाव बढ़ता है, जिससे भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं।

उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में पिछले लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से कोई बड़ा भूकंप (8.0 तीव्रता का) नहीं आया है। हिमालय क्षेत्र में आखिरी बार 8.0 तीव्रता का बड़ा भूकंप 1934 (नेपाल–बिहार भूकंप) और 1950 (असम भूकंप) में आया था। यह स्थिति 'सेस्मिक गैप' कहलाती है। भूविज्ञानियों के अनुसार इस गैप के कारण बड़ी मात्रा में भूगर्भीय ऊर्जा संचित हो रही है। इस ऊर्जा के लंबे समय तक रिलीज न होने से भविष्य में बड़े भूकंप की संभावना बढ़ गयी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.5 से अधिक थी और इसने व्यापक तबाही मचाई थी। उसके बाद भयंकर अकाल पड़ा। इसके बाद 1905 में कांगड़ा भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.8 थी, उसने भी हिमालय क्षेत्र में बड़ी तबाही मचाई। सनद्द 1950 के असम–तिब्बत भूकंप की तीव्रता 8.6 थी। यह हिमालय में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप था, लेकिन उत्तराखंड इससे बचा रहा। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र लगभग 100 वर्षों से बड़े भूकंप से अछूते हैं, जिससे वैज्ञानिक मानते हैं कि इस 'सेस्मिक गैप' के कारण इतनी भूगर्भीय ऊर्जा संचित हो चुकी है कि जो एक साथ बाहर निकल गयी तो विध्वंसकारी हो सकती है। फलतः, भूकंप–रोधी तकनीकों का उपयोग और आपदा प्रबंधन की तैयारियां अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत सरकार ने 'भारतीय मानक 1893' जैसे निर्माण मानकों को लागू किया है, जो भूकंप–रोधी संरचनाओं के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से कुछ भूकंपीय गतिविधियों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। इसके लिए उपग्रहों और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। भारत में भूकंपीय नेटवर्क को मजबूत करना और इससे जुड़ी चेतावनी प्रणालियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। भूकंप की स्थिति में नागरिकों को किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है। स्कूलों, कार्यालयों और समुदायों में भूकंप सुरक्षा को लेकर नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित करना चाहिए। इसके अलावा, भूकंप–रोधी किट्स जैसे पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री और अन्य जरूरी सामान को तैयार रखना चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती को बढ़ाना चाहिए, ताकि भूकंप के दौरान इनका गिरना या क्षतिग्रस्त होना कम हो। साथ ही, पुराने ढांचों की मरम्मत और पुनर्निर्माण जरूरी है।–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

घटिया बयानबाजी पर कौन लगाये लगाम

—विश्वनाथ सचदेव—

आप क्या कह रहे हैं, से कम महत्वपूर्ण नहीं होता यह कि कोई बात आप कैसे कह रहे हैं। सड़कों को साफ–सुथरा और समतल बनाने का वादा करने वाला कोई राजनेता यदि यह कहे कि वह 'सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा चिकना बनवा देगा' तो इसे सिर्फ एक घटिया अभिव्यक्ति मात्र कहकर या समझकर दर–किनार कर देना सही नहीं होगा। दिल्ली के कालकाजी चुनाव–क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने अपने चुनाव–प्रचार में जिस तरह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम लेकर यह बात कही है, उसकी सिर्फ भर्त्सना ही हो सकती हैदृ और अच्छी बात है कि हो भी रही है। राजनीतिक नफे–नुकसान का गणित लगाने के बाद इस नेता ने भले ही अपने कहे पर खेद व्यक्त कर दिया हो, पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। पहली बात तो यह कि हमारे राजनेता अक्सर इस तरह का खेद भले ही व्यक्त कर देते हों, पर अक्सर यह खेद ऊपरी दिखावा मात्र होता है। अब बिधूड़ी का उदाहरण ही लेंदृ सवेरे वे महिलाओं को अपमानित करने वाली बात कहकर खेद व्यक्त करते हैं और उसी शाम दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आतिशी ने अपना पिता तक बदल लिया! हां, यही मतलब है उस बात का जो बिधूड़ी ने कही थीदृ 'मारलेना ने अपना पिता ही बदल लिया है। पहले उनका 'सरनेम' मारलेना था और अब वह सिंह बन गयी हैं।' और इस वाक्य के बाद उन्होंने जो कहा वह तो और भी आपत्तिजनक हैं। बिधूड़ी ने कहा, 'यह है उनकी संस्कृति!' यह पहली बार नहीं है जब बिधूड़ी ने इस तरह की बात कही है। सात साल पहले भी एक चुनाव–प्रचार के दौरान ही उन्होंने सोनिया गांधी के संदर्भ में संस्कारों की बात कही थी।

हमारे नेता अक्सर खेद व्यक्त करते सुने–देखे जाते हैं, पर कभी किसी को सचमुच में खेद होता हो, ऐसा लगता नहीं। गालों जैसी चिकनी सड़कों वाली इसी बात में देखें तो जब बिधूड़ी से अपनी गलती (अपराध पढ़िए) के लिए क्षमा मांगने के लिए कहा गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, 'लालू यादव ने भी हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कों की बात की थी, पहले कांग्रेस उसके लिए क्षमा मांगे, क्योंकि तब लालू यादव कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे!' यह कैसा बचाव है? दुर्भाग्य से बचाव का यह तरीका हर रंग के राजनेता अपनाते हैं। 'फलां ने तब ऐसा कहा या किया था, तब माफी क्यों नहीं मांगी गयी?'

फिर, क्षमा मांगने या खेद व्यक्त करने की मांग पर एक बात और कहते हैं हमारे राजनेता। 'यदि किसी को मेरी बात से चोट लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।' इन राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए कि इस 'यदि' का क्या मतलब है। किसी के गालों वाली बात कहकर निश्चित रूप से नारी–जाति के प्रति अपनी घटिया सोच का उदाहरण प्रस्तुत किया है बिधूड़ी ने और उन्हें समझ आना चाहिए कि उनसे गलती नहीं, अपराध हुआ है। इस अपराध के लिए उन्हें बिना किसी शर्त के क्षमा मांगनी चाहिए। 'यदि' वाली बात उनके 'खेद' को झूठा साबित करती है।

क्षमा मांगना आसान नहीं होता। जब हम क्षमा मांगते हैं तो वास्तव में हम अपने गलत किये का पश्चाताप कर रहे होते हैं। ऐसा कोई पश्चाताप का भाव हमारे राजनेताओं के खेद में कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक रस्म अदायगी कर देते हैं वेदृऔर मान लेते हैं कि उनके पाप धुल गये। पाप धुलते नहीं हैं, बार–बार उजागर होते हैं। बिधूड़ी का सोनिया गांधी के संदर्भ वाला बयान सनद्द 2017 का है। यानी आज से सात–आठ साल पहले का। तब उन्होंने इटली की घटिया संस्कृति की बात कहकर सोनिया गांधी को कोसा था। वैसी ही महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच वाली बात उन्होंने अब कही है। स्पष्ट है उन्हें किसी प्रकार का पश्चाताप न तब था और न ही अब है। वस्तुतः यह उदाहरण घटिया राजनीति का ही नहीं, घटिया मानसिकता का भी है। और, दुर्भाग्य से, यह मानसिकता हमारी राजनीति में बार–बार उजागर होती रहती है।

अंग्रेजी का शब्द है पॉलीटिशियन। इसके लिए हम राजनेता शब्द काम में लेते हैं। घटिया भाषा और घटिया सोच वाले पॉलीटिशियनों के लिए नेता शब्द उचारते हुए भी मुझे झिझक महसूस हो रही है। घटिया सोच वाला कोई व्यक्ति हमारा नेता कैसे हो सकता है, और क्यों होना चाहिए? क्यों न हम ऐसे नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ें? उनका बहिष्कार क्यों न हो? संसद में आपत्तिजनक बात कहने, भाषा बोलने के लिए जब रमेश बिधूड़ी की भर्त्सना हुई तो भाजपा ने लोकसभा के लिए उन्हें उम्मीदवार न बनाकर यह संकेत दिया कि वह इस तरह के आपत्तिजनक आचरण को स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा लगा था यह देखकर। पर अब उसी व्यक्ति को विधानसभा का टिकट देकर भाजपा ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि लोकसभा के लिए उन्हें टिकट न देना और अब विधानसभा का टिकट देना, दोनों, राजनीतिक नफे–नुकसान के गणित का परिणाम है। इसका नैतिकता से कोई रिश्ता नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

राजनीति में नैतिकता का न होना, भले ही कैसी भी विवशता क्यों न हो, स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह शालीनता भी राजनीति को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। नेता वह होता है जो बेहतर आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करे। जिसकी कथनी–करनी पर भरोसा किया जा सके। पिछली संसद में रमेश बिधूड़ी ने एक साथी सांसद के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उसे एक बीमार सोच का परिणाम ही कहा जा सकता है। तब भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी इस सोच का विरोध किया था। अब बिधूड़ी ने जिस भाषा में बात की है उसे भी पार्टी के कुछ नेताओं ने गलत बताया है। यह अच्छी बात है। पर यह दिखावा मात्र बनकर अथवा घड़ियाल के आंसू बनकर नहीं रहनी चाहिए। होना तो यह चाहिए की बिधूड़ी जैसे गलत भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को दिया गया टिकट बीजेपी वापस ले ले। पर ऐसा होगा नहीं। होगा वही जो चुनाव का गणित कहता है। अब तक ऐसा ही होता आया है। बात सिर्फ बिधूड़ी की नहीं है अन्य दलों में भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। ये उदाहरण घटिया राजनीति के ही नहीं, घटिया मानसिकता के भी हैं।

एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार की घूस लेते पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार, दो लाख का होना था भुगतान

संवाददाता—गोण्डा। गोंडा जिले के पड़रीकृपाल ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव विजय कुमार को एंटी करप्शन टीम ने बृहस्पतिवार को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद ग्राम प्रधान की तहरीर पर आरोपी पंचायत सचिव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पंचायत सचिव विजय कुमार बलिया जनपद के बनकट मोहल्ले के रहने वाले विजय कुमार जिले के पड़रीकृपाल ब्लॉक में पिछले दो साल से बतौर पंचायत सचिव कार्यरत थे। बीते 30 दिसंबर को एंटी करप्शन टीम प्रभारी धनजंय सिंह से मिलकर पंचायत सचिव विजय कुमार की विशवा विशुनपुर बैरिया निवासी ग्राम प्रधान मनीष वर्मा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

आरोप लगाया कि 100 मीटर इंटरलॉकिंग के दो लाख रुपए सरकारी धन भुगतान के एवज में सचिव विजय कुमार रिश्वत मांग रहे हैं। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान को भुगतान के एवज में घूस के लिए नगर कोतवाली के पंड़रीकृपाल ब्लॉक के पास स्थित खैराकुभंनगर प्राथमिक विद्यालय के किराये के मकान में बुलाया। वहां पहले से मुस्तैद एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते पंचायत सचिव विजय कुमार को रंगे हाथ दबोच लिया।

आरोपी सचिव विजय कुमार को नगर कोतवाली लाकर घंटों तक पूछताछ की है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि ग्राम प्रधान मनीष वर्मा की तहरीर पर पंचायत सचिव विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है साथ ही छानबीन की जा रही है।

भाजपा मंडल अध्यक्षों की हुई घोषणा, जगह–जगह हुआ स्वागत

संवाददाता—महराजगंज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जिले के चार विधानसभाओं में बुधवार को मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। चारों विधानसभाओं में नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का कार्यकर्ताओं द्वारा जगह–जगह फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया।

जिले में भाजपा के 25 मंडल हैं। मंडल अध्यक्ष पद के लिए कुल 255 दावेदारों का नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई थी। मंडल अध्यक्षों की पहली सूची में फरेंदा, नौतनवा, महराजगंज व पनियरा विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के नाम जारी हुए। जबकि सिसवा विधानसभा की सूची नहीं जारी होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ता प्रतीक्षा करते रहे। जारी हुई सूची में फरेंदा विधानसभा में कोल्हुई से राहुल सिंह, फरेंदा दक्षिणी से हीरा प्रसाद गुप्ता, फरेंदा उत्तरी से बृजेश चौधरी, बृजमनगंज से दिलीप गुप्ता, नौतनवा विधानसभा में नौतनवा पूर्वी से ऋषिकेश यादव, महराजगंज सदर में नगर से आकाश श्रीवास्तव, देहात से नंदकिशोर तिवारी, शिकारपुर से विजय गोंड़, घुघली उत्तरी से हेमंत गुप्ता, पनियरा विधानसभा में परतावल से विवेक पटेल, श्यामदेउरवा से जनार्दन सिंह, मुजुरी से देवेंद्र गिरी, घुघली दक्षिणी से अरविंद चौधरी, व पनियरा से उमेश प्रजापति मंडल अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित अध्यक्षों की सूची जारी होते ही परतावल, घुघली, बृजमनगंज सहित पूरे जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह–जगह पर निर्वाचित मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया गया। दीपक चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा सिसवा विधानसभा की सूची बुधवार को जारी नहीं की गई है। अगले एक–दो दिन में नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों की सूची जारी किए जाने की संभावना है।

बाहर खेलने निकली मासूम की तालाब में मिली लाश

संवाददाता—श्रावस्ती। इकौना मध्य नगर निवासी तीन वर्षीय बालिका बुधवार शाम घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई। जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। उसका शव बृहस्पतिवार मार्ग किनारे तालाब में मिला। सूचना पर पहुंची भिनगा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मध्य नगर मनोहरापुर के मजरा मध्य नगर निवासी भाईलाल निषाद की पुत्री हिमांशी (3) बुधवार शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद वह लापता हो गई। देर शाम तक मासूम के घर न लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। पूरी रात परिजन उसे तलाशते रहे लेकिन उसका पता नहीं चल सका। संदेह के आधार पर जब परिवार के लोगों ने बृहस्पतिवार गांव के निकट मार्ग किनारे स्थित खड्ड नुमा तालाब में तलाश किया तो मासूम का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंचे उप निरीक्षक मंदीप यादव ने शव को कब्जे मे लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। मासूम की मौत के बाद परिवारीजनों को रो रो कर हाल बेहाल है।

श्री रामनगरी में महर्षि योगी का 35 वर्ष पुराना सपना साकार हो रहा है –अजय कुमार श्रीवास्तव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। महर्षि महेष योगी के108 वीं जयंती के अवसर पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविध्यालय अयोध्या का अनौपचारिक उद्घाटन 12 जनवरी को,अगस्त 2025 से संचालित होगी कक्षाएं, जिसमें रामायण के साथ सनातन वैदिक के सभी धर्म ग्रंथ, चारों वेदों के साथ ,टेक्निकल और बीए, बीएससी बीकॉम जैसी रोजगार परख शिक्षा दी जाएगी और छात्रों का कैंपस सिलेक्शन भी होगा उक्त बातें विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताई। उन्होंने बताया कि श्री महाराज जी की 108 वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय कैंपस में 10, 11, 12 जनवरी तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें कुमार विश्वास अपने–अपने राम पर अपना व्याख्यान देंगे और इसके साथ कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महर्षि योगी का 35 वर्ष पूर्व यह सपना था की अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाए और रामायण के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जिससे राम के चरित्र और सनातन संस्कृति से पूरे विश्व को जोड़ा जाए यह कार्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलाल की कृपा से अब संभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से रामायण विश्वविद्यालय के संचालन के लिए सभी मानक पर सहमति मिल गई है कुछ टेक्निकल काम बाकी हैं जो 10 ,15 दिन में पूरी कर लिया जाएगी। डॉ भानु प्रताप सिंह ने बताया कि महर्षि जी के सपनों के अनुरूप यह विश्वविद्ध्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान है, अपितु भारतीय संस्कृति, परम्परा और जीवन मूल्यों को संजोये रखने का एक अनोखा प्रयास है। भगवान श्रीराम जी के आदर्शो एवं रामायण के सिद्धान्तों को समर्पित यह विश्वविध्यालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, अनुसंधान एवं मूल्य आधारित शिक्षा का केन्द्र बनेगा।

सीमा पर खाद तस्करी पर टीम बनाकर लगाएं रोक –डीएम

संवाददाता—महराजगंज। डीएम अनुनय झा ने कृषि विभगा की समीक्षा की। उन्होंने नेपाल सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में खाद तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी रोक के लिए टीम बनाकर कार्रवाई का निर्देश दिया। सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा। उन्होंने एग्रीजंक्शन योजनान्तर्गत चयनित प्रशिक्षित युवाओं को उर्वरक लाइसेन्स का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवाने को कहा। डीएम ने कृषि विभाग द्वारा संचालित इन सीटू योजना (फसल अवशेष प्रबंधन) एनएफएसएम, योजना, आत्मा योजना, उप्र मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम योजना, एग्रीजक्शन योजना, कृषि यंत्रीकारण की योजना, आरएडी, एवं उद्यान विभाग की पर ड्राप मोर क्रॉप, माइक्रोइरीगेशन आदि योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु जनपद में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जानकारी ली। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कुल 05 (04 ग्रामीण उद्यमी एवं 01 एफपीओ) कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु लक्ष्य प्राप्त है जिसमें 01 ग्रामीण उद्यमी में तथा 01 एफ०पी०ओ० में कस्टम हायरिंग सेन्टर की पूर्ति की जा चुकी है। जिलाधिकारी महोदय ने उक्त सेंटर की स्थापना हेतु ज्यादा से ज्यादा आवेदन करवाने का निर्देश दिया। पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सोलर पम्प की स्थापना में तेजी लाएं। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए तथा संस्था से किसानों की सूची प्राप्त करने एवं उनके सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने फसल बीमा योजनान्तर्गत 60000 किसानों की फसल बीमा कराने हेतु निर्देशित किया। बैठक में सीडीओ अनुराज जैन, उप कृषि निदेशक वीरेन्द्र कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर एवं नौतनवा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ठंड ने किया बेहाल, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार

संवाददाता—गोंडा। लगातार पड़ रहे कोहरे और पछुआ हवा के कारण मौसम ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 28 घंटे से जिले में बदली छाई रही। कंपकंपाने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। वहीं, कोहरे का सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है। सुबह सात बजे गोंडा आने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार की शाम को पहुंची। बुधवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कोहरा और पाला गिरने से किसानों को फसलों के नुकसान की आशंका सता रही है।

पछुआ हवा से अभी लोगों को राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। लगातार दूसरे दिन भी धूप के न निकलने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ गई है। मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था। तापमान में आई कमी ने हर वर्ग को बेहाल कर दिया है। धानेपुर थाने के बाहर कई लोग कूड़ा जलाकर ठंड दूर भगाते दिखाई दिए। दुल्हापुर बनकट के अजय सिंह, दीपक, अनुज कुमार, गोलू, विमल देवी, कप्तान सिंह का कहना है कि भीषण ठंड में भी यहां अलाव की व्यवस्था नहीं है। तेज हवा चलने के कारण ठंड का अहसास ज्यादा हुआ। बगैर अलाव के रहना मुश्किल था। इसलिए उन लोगों ने कूड़ा जलाकर ठंड से राहत पाने का प्रयास किया। उधर, मेडिकल कॉलेज में ठंड से बीमार लोगों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। अत्यधिक कोहरे व ठंड के प्रकोप के कारण आठ ट्रेनें अपने नियत समय से 7 से 11 घंटा देरी से गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचीं। यही नहीं कई ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 7 बजे के बजाय 11 घंटे देरी से शाम 6 बजे, वैशाली सुपरफास्ट सुबह 6 बजकर 30 मिनट के बजाय सात घंटे देरी से दोपहर 1.30 बजे पहुंची। इसी तरह कुशीनगर सुपरफास्ट और सत्याग्रह एक्सप्रेस दो–दो घंटे, सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस एक–एक घंटा देरी से पहुंची। वहीं, वाराणसी इंटरसिटी, आनंद विहार, बरौनी मेल, बाघ व पुनिया कोर्ट एक्सप्रेस के निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। लगातार पड़ रहे कोहरे और पाले के असर से फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पाला और ओस सरसों, आलू, गोभी सहित अन्य फसलों के लिए काफी नुकसानदायक माना जा रहा है। इसके साथ ही जिन फसलों और सब्जियों में फूल लगे हैं उन्हें भी खतरा है। कृषि विज्ञान केंद्र गोपालग्राम के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि पाला और ओस गेहूं, चना, मटर, जौ आदि फसलों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जिन सब्जियों व जिन फसलों में फूल की अवस्था है उसमें फली कम आएगी। सरसों, आलू, गोभी आदि फसलों के लिए पाला व ओस नुकसानदेह है। उन्होंने बताया कि फसलों को पाला से बचाव के लिए किसान भाई फसलों की सिंचाई करें, जिससे फसलों पर पाला का असर कम होगा।

साली के साथ जीजा ने की अश्लील हरकत, केस दर्ज

संवाददाता—महराजगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव में बेटी के साथ सो रही महिला से उसके जीजा ने अश्लील हरकत कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी जीजा और दीदी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पीड़िता ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वह सोमवार को खाना खाने के बाद बेटी के साथ बरामदे में सोई थी। तभी रात करीब 11 बजे सुनसान पाकर जीजा उनके पास पहुंच गया और अश्लील हरकत करने लगा। चीख पुकार मचाने पर जीजा मौके से भाग निकला। इतना ही नहीं घटना के बाद उसकी बहन अपशब्द बोलने लगी। थाना प्रभारी गौरव कन्नौजिया के अनुसार, मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी जीजा और दीदी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

आईजीआरएस निस्तारण में देवरिया पुलिस को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

संवाददाता—देवरिया। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण में देवरिया पुलिस को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। बेहतर प्रदर्शन पर आईजीआरएस शाखा की टीम को प्रशस्ति पत्र व नकद देकर एसपी विक्रांत वीर पुरस्कृत करेंगे। जिले में दिसंबर माह में 1195 शिकायती पत्र पुलिस विभाग को मिला। आईजीआरएस शाखा की टीम ने सभी थानों से समन्वय स्थापित कर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया। 100 प्रतिशत आईजीआरएस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बाद मुख्यालय से इसकी गुणवत्ता की जांच की गई। दिसंबर माह में पूरे प्रदेश में आईजीआरएस निस्तारण में देवरिया पुलिस 115 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक प्राप्त की है। आईजीआरएस शाखा में तैनात प्रभारी निरीक्षक बरजोर सिंह, उप निरीक्षक श्यामराज सिंह, सिपाही नीतीश गुप्ता, शिव नंदन मिश्र, राजीव त्रिपाठी, रोमा सोनकर, पूनम सिंह को एसपी पुरस्कृत करेंगे।

भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, तकनीकी सहायक और दो महिला कर्मचारी की सेवा समाप्त

संवाददाता—बहराइच। डीएम के निर्देश पर सीडीओ की जांच में मनरेगा योजना में बिना कार्य कराए भुगतान करने के मामले में जांच के दौरान खुलासा होने पर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तथा तकनीकी सहायक एवं दो महिला कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिससे हड़कंप मच गया है। जिले के नवाबगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत शिवपुर मोहनिया में मनरेगा योजना के अंतर्गत बिना काम कराए। 3 लाख 15 हजार रुपये से अधिक भुगतान के मामले में डीएम मोनिका रानी के निर्देश पर सीडीओ ने जांच की तो भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद दो महिला मेट तथा तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है। जबकि ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। जिले की विकासखंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत शिवपुर मोहनिया में मनरेगा योजना अंतर्गत मिट्टी पटाई का काम कराया गया था। डीएम ने सीडीओ को इस कार्य का स्थलीय सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। सीडीओ ने मौके पर जाकर जब जांच किया तो बिना मिट्टी पटाई कार्य कराये शासकीय धन का दुरुपयोग होने की बात सामने आई। मौके पर कोई कार्य नहीं पाया गया। फोटो अपलोड में भी फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी तरीके से कार्य की फोटो अपलोड कराई गई। भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद डीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिससे हड़कंप मचा हुआ है। डीएम के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच की तो मौके पर काम नहीं पाया गया। जबकि अभिलेखों में पिल्लू के खेत से मेलाराम के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य के लिए 5 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक 22 श्रमिकों को 14 दिवस का रोजगार देते हुए रुपये 72,996 और 19 दिसम्बर से 1 जनवरी 2025 तक 74 श्रमिकों को 14 दिवस का रोजगार देते हुए रुपये 2,42,451 का भुगतान किया गया। मनरेगा के तहत कुल धनराशि 3,15,447 रुपये व्यय कर दिया गया। जबकि स्थलीय निरीक्षण में मौके पर काम नहीं पाया गया। यही नहीं इसी कार्य पर 4 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक 59 श्रमिकों का 14 दिवस का मास्टर रोल जारी कराया गया है। महिला मेट द्वारा सभी तरीके से फोटो भी अपलोड की गई है। सीडीओ की जांच में 3 लाख 15 हजार 447 रुपये का फर्जीवाड़ा मिला है। इस धन की रिकवरी ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्से में की जाएगी।

सड़क हादसों में लखनऊ के जिला अस्पताल के टेक्नीशियन समेत तीन की मौत

संवाददाता—बहराइच। अलग–अलग थाना क्षेत्र में हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। इसमें बलरामपुर के लैब टेक्नीशियन समेत एक राजगीर भी शामिल है। वहीं एक की पहचान नहीं हो पाई। हरदी थाना के सिकंदरपुर निवासी बाइक सवार देवेश चंद्र शुक्ला 32 हरदी थाना के चंदपहिया गांव के पास घायल अवस्था में पड़े मिले। राहगीरों ने एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया जहां उनकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे आदर्श ने बताया लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में संविदा पर लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे और चार दिन पहले घर आए थे। हरदी थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया चंदपहिया मोड़ के पास बाइक सवार सड़क किनारे लगे ईंट के चट्टे से टकरा गए और उनकी मौत हो गई। वहीं, कैसरगंज कोतवाली के लखनऊ बहराइच हाईवे के बढौली गांव के पास बुधवार की रात 35 वर्षीय अज्ञात पैदल युवक को वाहन ने रौंद दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मृतक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं हैं, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हुलिया के आधार पर शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किया जा रहे हैं। देहात कोतवाली के छिलौहरा धरसवां निवासी शेषराज यादव (32) मंगलवार को बाइक से रिश्तेदारी में पयागपुर के अमदापुर गया था। जहां से घर लौटते समय सुकईपुरवा चौराहा के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता जगराम ने बताया की उसका बेटा मकान निर्माण व खेतबाड़ी करके परिवार का भरण–पोषण करता था। उसके दो बेटियां है। मौत से पत्नी सुमन, मां राजकुमारी समेत अन्य परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है। पयागपुर थानाध्यक्ष करुणाकर पांडेय ने बताया बाइक चालक सड़क किनारे लगे बिजली पोल से टकरा गया। घटना के दौरान शेषराज हेलमेट लगाए था।

विधायक ने 53 किसानों को वितरित किया पंपिंग सेट

संवाददाता—श्रावस्ती। मुख्यमंत्री लघु सिचाई योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से ब्लॉक सभागार गिलौला में पंपिंग सेट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडेय ने 53 लघु व सीमांत किसानों को अनुदान पर पंपिंग सेट वितरित किया।

इस दौरान विधायक ने कहा कि किसान गौपालन व आर्गेनिक खेती करें। इससे उनकी आमदनी तो बढ़ेगी है। किसानों व उनके परिवार के लोगों को शुद्ध दूध व फल और सब्जियां भी मिलेंगी। साथ ही उनकी बाजार व दूसरों पर निर्भरता भी घटेगी। इस दौरान चिह्नित 85 के मुकाबले 53 लघु व सीमांत किसानों को अनुदान पर डीजल पंपिंग सेट प्रदान किए। सहायक अभियंता लघु सिचाई सौरभ यादव ने बताया की पंपिंग सेट पर सामान्य वर्ग के किसानों को 25,200 रुपये व अनुसूचित वर्ग के किसानों को 32,400 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– T202417140402461
धारा 116 उ0प्र0रा0संहिता 2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय रूधौली जिला–बस्ती

विजय प्रताप सिंह आदि
बनाम
सन्तराम आदि

बावत मौजा महसिन तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती

1. सन्तराम 2. रामबहाल पुत्रगण राम पियारे 3. सुग्रीम प्रजापति 4. सुनील कुमार प्रजापति 5. राम कुमार वर्मा 6. रामशब्द पुत्रगण रामगनेश 7. अजय प्रताप सिंह पुत्र शत्रुजीत सिंह 8. अनिरूद्ध चौधरी पुत्र रामपलट 9. अभिषेक सिंह पुत्र प्रताप सिंह 10. गंगाराम पुत्र रामलखन 11. दिग्विजय सिंह पुत्र अजय सिंह 12. प्रमोद कुमार चौधरी पुत्र रामपलट 13. प्रांजल सिंह पुत्र दिलीप सिंह 14. बबिता सिंह पत्नी दिलीप सिंह 15. बाबूराम पुत्र चैतू 16. महेन्द्र कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र सेन सिंह 17. रामनयन 18. रामनाथ पुत्रगण रामलखन 19. रामलौट पुत्र चैतू 20. रितिकराज चौधरी पुत्र रामपलट 21. विश्राम मौर्य पुत्र सुखराज 22. विश्वबिजय पुत्र अजय सिंह 23. शक्तिपाल सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह 24. श्रीमती आशा सिंह पत्नी अजय सिंह 25. श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी प्रताप सिंह 26. श्रीमती जानकी सिंह पत्नी भानु प्रताप सिंह 27. सत्यराम पुत्र चैतू 28. सोनमती चौधरी पत्नी राम पियारे 29. हुबलाल मौर्य पुत्र सुखराज 30. जगदम्बिका पाल सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासीगण ग्राम महसिन तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती 31/1 चिन्टू सिंह पुत्र कौशलेन्द्र प्रताप सिंह 31/2 श्रीमती कमला सिंह पत्नी कौशलेन्द्र प्रताप सिंह 32/1 भीम सिंह उर्फ भाल सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासीगण ग्राम महसिन तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती हाल पता 308 विद्या विहार नगर जयपुर (राजस्थान) 33. केसरी नन्दन सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह 34. चन्द्र प्रताप पुत्र नरसिंह 35. चिन्तामणि सिंह पुत्र राजकरन 36. प्रदीप सिंह पुत्र राम सिंह 37. राजपाल सिंह पुत्र नरसिंह 38. विश्वनाथ सिंह पुत्र नरसिंह 39. विश्वनाथ सिंह पुत्र राम सुभग 40. रणजीत सिंह पुत्र राम सिंह 41. शिवशंकर सिंह पुत्र राम सिंह 42. कलाधर सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह 43/1 मालती उर्फ कमला पुत्री निर्मला सिंह 43/2 श्रीमती विद्यावती पुत्री निर्मल सिंह 6. श्रीमती विमला पुत्री निर्मल सिंह निवासीगण ग्राम मझौवा जगत तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती 44. माता प्रसाद पुत्र शिवदीहल 45. रामकरन पुत्र रामजतन निवासीगण ग्राम मझौवा जगत तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती 46. ग्राम पंचायत महसिन तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती द्वारा ग्राम प्रधान 47. सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 15–01–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। –द0 हाकिम

मदरसा परीक्षा के लिए आवेदन तिथि संशोधित

संवाददाता—देवरिया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मुन्शी, मौलवी एवं आलिम परीक्षा वर्ष 2025 के आवेदन प्रक्रिया से संबंधित तिथियों में संशोधन किया गया है।

संशोधित तिथियों के अनुसार, परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी निर्धारित की गई है। पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार, आवेदन शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी और आवेदन पत्र भरने की तिथि 6 जनवरी थी। मदरसों के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या द्वारा छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन भरने और लॉक करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी तय की गई है। इसके अलावा, चालान और अन्य संबंधित प्रपत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 13 जनवरी को शाम 4 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।

नक्शे में पार्किंग मौके पर दुकान, सौ को नोटिस

संवाददाता—बहराइच। दोहरा मुनाफा कमाने के लिए सैकड़ों प्रतिष्ठान स्वामियों ने नक्शा पास करवाते समय तो पार्किंग दिखाया लेकिन निर्माण के समय दुकानें बनवा दीं। इनसे वह किराए के रूप में मोटी रकम वसूल रहे हैं लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से 100 से अधिक प्रतिष्ठानों का चिह्नांकन कर उन्हें नोटिस जारी किया है। तीन दिन में सभी को कॉम्प्लेक्स के नक्शा के अनुसार निर्माण क्यों नहीं कराया। इसका जवाब देना होगा।

शहरी क्षेत्र की अधिकांश सड़कें अतिक्रमण व पटरियों पर बेतरतीब खड़े वाहनों से कराह रही हैं। वहीं बेतरतीब खड़े इन वाहनों व अतिक्रमण के चलते शहर के प्रमुख चौराहों पानी टंकी, घंटाघर, अस्पताल चौराहा, डिगिहा, छोटी बाजार आदि पर लगभग प्रतिदिन भीषण जाम लग रहा है। आम हो चुकी जाम की इस समस्या में सबसे ज्यादा योगदान छोटे–बड़े प्रतिष्ठान स्वामियों का है, जिन्होंने अधिक मुनाफा कमाने के लिए प्रशासनिक अमले को ही गुमराह कर दिया।

सैकड़ों प्रतिष्ठान स्वामियों ने नक्शे में तो पार्किंग स्थल दिखाया और उसे पास करवा लिया, लेकिन मौके से पार्किंग नहीं मिली। नक्शे में दर्शाए गए पार्किंग स्थल के स्थान पर दुकानें बना दी गई हैं और उन दुकानों से प्रतिमाह 40,000 हजार से लेकर 90,000 हजार तक का किराया वसूला जा रहा है। इसका खामियाजा आम राहगीर उठा रहे हैं और प्रतिष्ठानों के सामने खड़े हो रहे दो पहिया व चार पहिया वाहनों से जाम लग रहा है लेकिन अब बहुत जल्द ऐसे मुनाफाखोरों पर प्रशासन का चाबुक चलने वाला है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से 100 से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है, साथ ही चिह्नांकन लगातार जारी है।

शालिनी प्रभाकर, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सैकड़ों शॉपिंग मॉल, मिनी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि की ओर से नक्शे के स्थान पर निर्माण करवा लिया गया है। सभी को आज से नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी होने के तीन दिन के अंदर नक्शा लेकर प्रस्तुत न होने पर नक्शा निरस्तीकरण व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बस्ती

पत्रकाः मेमो/न0पा0 प0बस्ती/अधि0 अधि0/2024–25 /दिनांक– 18–12–24

नोटिस हस्त दफा 147 (2) यू० पी० म्यूसिपैल्टी ऐक्ट 1916

श्रीमती अरूणा पाण्डेय पत्नी अवनीष पाण्डेय पुत्री अजय तिवारी, चन्द्रभान त्रिपाठी पुत्र हरिद्वार को सूचित किया जाता है कि, मकान नं0–300 वार्ड नं0–07 का अजय तिवारी के हिस्से पर मृत्यु तथा तहसील द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर मुहल्ला शिवनगर तुरकहिया के संबंध में श्री अनिल तिवारी पुत्र अजय तिवारी ने अपना अधिपत्य प्रकट किया है और उपरोक्त भवन पर अपना नाम नगर पालिका बस्ती के कर अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र दिया है। इस सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो वह 30 दिन के अन्दर अथवा बजरिये प्रतिनिधि इस सूचना के जारी होने के अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कर सकते है। वक्त गुजरने के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी
उपजिलाधिकारी (प्रशिक्षु)
नगर पालिका परिषद बस्ती

पत्रकाः मेमो/न0पा0 प0बस्ती/अधि0 अधि0/2024–25 /दिनांक– 18–12–24

कांग्रेस का बड़ा आरोप– जमीन अधिग्रहण के नाम पर अयोध्या में हो रही है संगठित लूट

संवाददाता–अयोध्या।

रामनगरी अयोध्या में जमीन अधिग्रहण के नाम पर आवास विकास परिषद की ओर से संगठित लूट किए जाने और तानाशाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पीड़ित आमजनों के पक्ष को लेकर मीडिया से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से अयोध्या में ग्राम शाहनवाजपुर मांझा, शाहनवाजपुर उपरहार, कुढ़ाकेशवपुर मांझा और कुढ़ाकेशवपुर उपरहार में आवासीय समस्याओं का बहाना बनाकर आम जनता की बहुमूल्य जमीन अधिग्रहण के नाम पर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आवास विकास परिषद कौड़ियों के दाम में जमीन लेकर महंगे दामों में जमीन बेच रही है। इससे प्रभावित किसान और भूस्वामी विरोध कर रहे हैं लेकिन आवास विकास भू माफिया की तरह आम जनता की जमीन जबरदस्ती छीनने का कुचक्र रचकर यहां के स्थानीय निवासियों को पूरी तरह मिटाने पर उतारू है। यह पूरी योजना अवैधानिक, अनैतिक, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा कि संसद की ओर से पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों का पालन किसी भी अधिग्रहण के लिए जरूरी है जबकि आवास विकास सभी स्थापित कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मनमाने ढंग से अधिग्रहण करने पर अमादा है।

वैज्ञानिकों की वर्ल्ड रैंकिंग में एमएमएमयूटी की एक साल में दोगुनी छलांग

संवाददाता– गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में शिक्षा के साथ रिसर्च की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। एमएमएमयूटी के 114 शोधकर्ताओं को एडी साइंटिफिक रैंकिंग के वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग–2025 में जगह मिली है। इन शोधकर्ताओं में शिक्षक और शोध छात्र शामिल हैं। खास बात यह है कि उत्कृष्ट रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के इस विश्वस्तरीय रैंकिंग में एमएमएमयूटी के शोधकर्ताओं ने एक साल में ही दो गुनी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष इसी रैंकिंग में विश्वविद्यालय के 58 शोधकर्ताओं को जगह मिली थी। जबकि इस बार लगभग दोगुने शोधकर्ताओं को जगह मिली है।

पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आई–10 इंडेक्स के आधार पर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बड़ा उछाल आया है। वैज्ञानिक शोध के मानकों पर होने वाली आई–10 इंडेक्स के आधार पर विश्वविद्यालय की देश में इस वर्ष 172वीं रैंक है। जबकि पिछले वर्ष यह 229 थी। इसी प्रकार, एशिया में इस वर्ष 800वीं रैंक है। जबकि पिछले वर्ष यह 1033 थी। विश्व स्तर पर में पिछले वर्ष विश्वविद्यालय की रैंक 2797 थी। जबकि इस वर्ष 2186वीं रैंक है। सरकारी विश्वविद्यालयों की अलग से भी रैंकिंग की जाती है। इसमें में आई–10 इंडेक्स के आधार पर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में अच्छा सुधार आया है।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शोध एवं विकास प्रो. राकेश कुमार ने बताया कि शोध की गुणवत्ता मापने की अन्य प्रचलित प्रणालियों से थोड़ी अलग और 2021 में प्रो म्यूरत अल्पर एवं प्रो सिहान डेयर द्वारा एडी साइंटिफिक इंडेक्स (एल्पर–डेयर साइंटिफिक इंडेक्स) विकसित किया गया है। यह प्रणाली संस्थानों, पत्रिकाओं और विश्वविद्यालयों के समग्र मूल्यांकन के स्थान पर व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के शोध प्रकाशन, एच इंडेक्स, और शोध उत्पादकता संबंधी नौ मापदंडों पर कुल बारह विषय क्षेत्रों (कृषि और वानिकी, कला, डिजाइन और वास्तुकला, व्यवसाय और प्रबंधन, अर्थशास्त्र और अर्थमिति, शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, इतिहास, दर्शनशास्त्र) में शोधकर्ताओं की रैंकिंग प्रकाशित करता है। इस प्रणाली में शोधकर्ता की अपने संस्थान में, अपने देश में, अपने भौगोलिक क्षेत्र में, तथा विश्व में रैंकिंग भी प्रकाशित की जाती है।

रैंकिंग में कंप्यूटर साइंस विभाग के 5 शिक्षकों, आईटी विभाग के 3 शिक्षकों, भौतिकी के 4 शिक्षकों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के 8 शिक्षकों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के 4, मानविकी के 3 शिक्षकों, प्रबंधन के 3 शिक्षकों, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 5 शिक्षकों, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 3 शिक्षकों तथा गणित से 3 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। शेष नाम विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के हैं।

उत्पीड़न का आरोप

संवाददाता– गोरखपुर। एम्स थानाक्षेत्र के कुसम्ही कोठी निवासिनी प्रिया ने चौरीचौरा पुलिस को तहरीर देकर सास, ससुर, ननद व देवर सहित कुल छह लोगों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। प्रिया ने तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी एक वर्ष पूर्व चौरीचौरा क्षेत्र के देवीपुर निवासी लालू पुत्र संतु के साथ हुई थी। पिता ने शादी में दहेज के दो लाख रुपये, अंगूठी, माला व बाइक आदि दी थी। शादी के दूसरे दिन ससुराल आने पर ससुर संतु, सास सुधा, ननद निशा, करीना, देवर राहुल, रक्षा और दहेज के लिए मारपीट कर भगा दिया। गहने भी अपने पास रख लिए। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है।

फ्लोर मिल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर का छापा

संवाददाता– गोरखपुर। पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी साहबगंज में आयकर की टीम ने छापेमारी की है। फ्लोर मिल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। साहबगंज में गुरुवार की सुबह तीन गाड़ियों से टीम पहुंची। कारोबारी का कारोबार गोरखपुर से लेकर कोलकाता फैला हुआ है। इसी के साथ फोर व्हीलर गाड़ियों के शो रूम के मालिक के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की सूचना मिल रही है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0– 920/2024
प्रकीर्णवाद सं0– 231/2021
मूलवाद सं0– 180/2002
रामकेवल यादव आदि
बनाम
श्रीमती माया देवी आदि

1. श्रीमती माया देवी उम्र 50 साल पत्नी राम मिलन निवासी ग्राम नरहरिया तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 13–02–2025

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 13 माह 02 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 279/2024
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) स्थान–बांसी जिला–सिद्धार्थनगर
सीताराम
बनाम
बहरैची आदि

1. बहरैची उम्र 36 साल 2. दिलीप चौरसिया उम्र 30 साल पुत्रगण रामलाल साकिन डुमरियां पाण्डेय तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 3. जगपति देवी उम्र लगभग 65 साल पत्नी हरीराम साकिन डुमरियां पाण्डेय तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर हाल मुकाम 7/जनसेवा रहिवासी संघ 329 आनन्द बैमच्चा मार्ग प्लाझा सिनेमा जवल दादर पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्र 400028
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
4. रामलाल उम्र 70 साल पुत्र राम पियारे ग्राम डुमरियां पाण्डेय तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला– सिद्धार्थनगर 5. हरीराम उम्र 71 साल पुत्र राम पियारे साकिन डुमरियां पाण्डेय तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर हाल मुकाम 7/जनसेवा रहिवासी संघ 329 आनन्द बैमच्चा मार्ग प्लाझा सिनेमा जवल दादर पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्र 400028
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 28.02.2025

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपने प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 08.01. 2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– 1496/24
धारा 116 उ0प्र0रा0संहिता2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बांसी जिला–सिद्धार्थनगर
शिवशंकर प्रसाद आदि
बनाम
रामनरायन आदि
बावत मौजा उदयपुर तप्पा छत्तसी तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

1. रामनरायन 2. रामरक्षा पुत्रगण अदालत ग्राम मसिना तप्पा छत्तसी तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 3. नसरूल्लाह 4. रोहुल्लाह पुत्रगण मो0 हुसैन ग्राम भरथना तप्पा कुदारन तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 5. ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत उदयपुर तप्पा छत्तसी तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 6. उ0प्र0 सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 21–01–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 21 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
नं0मु0 D202217140000777
धारा 30 उ0प्र0रा0संहिता
अदालत– श्रीमान सी0आर0ओ0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
हरीराम
बनाम
सरकार

1. ग्रामसभा छिबरा जरिये प्रधान बाबूराम ग्राम छिबरा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 25–01–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–113/2023
महेन्द्र कुमार
बनाम
रविन्द्र सिंह आदि

1. रविन्द्र सिंह उम्र लगभग 62 साल पुत्र रामगुलाम 2. दिलीप कुमार उम्र लगभग 52 साल पुत्र शिवपूजन निवासीगण ग्राम खरदेउरा तप्पा बांसखोर परगना बस्ती पूरब तहसील रूधौली जिला–बस्ती

तारीख पेशी 13–01–2025

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 13 माह 01 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0– 759/2023
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
श्रीमती रीना
बनाम
शोभा आदि

1. शोभा पुत्र जगमोहन 2. घनश्याम पुत्र बृजमोहन 3. नन्द किशोर पुत्र मल्लू 4. लालजी पुत्र हीरालाल 5. राजेश 6. महेश पुत्रगण घनश्याम 7. बुद्धिसागर 8. रजलू पुत्रगण शोभा निवासीगण मौजा कल्याणपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 31–01–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 31 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं. 75/2014

1. रमेश चन्द्र चौधरी पुत्र नरसिंह चौधरी निवासी ग्राम श्रीपालपुर टोला बड़ा बढ़या तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 2. प्रियान्शु उम्र लगभग 1 माह नाबालिग पुत्र उमेश चन्द्र चौधरी ववलायत उमेश चन्द्र चौधरी पिता हकीकी निवासी ग्राम श्रीपालपुर टोला बड़ा बढ़या तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

बनाम

1. शाखा प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बस्ती 2. शाखा प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा घोषी मऊ 3. सूर्यदेव सिंह पुत्र जगवन्त 4. श्रीमती गुलाब रानी पत्नी सूर्यदेव सिंह निवासी मकान नं0–81/192 मुन्नालाल ठाकुर द्वारा धर्मशाला रोड गांधी नगर बस्ती तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 15–01–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 15–01–2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0– 116/2023
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
सेराज अहमद
बनाम
मुस्तफा आदि

1. मुस्तफा पुत्र स्व0 शोहबत अली 2. मोहम्मद अली पुत्र स्व0 अकबर अली 3. श्रीमती आमिना खातून पुत्री स्व0 अकबर अली 4. कुमारी मोमिना खातून पुत्री स्व0 अकबर अली निवासीगण ग्राम हथिरजा तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती –प्रतिवादीगण

तारीख पेशी 18–01–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 18 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं. 39/2024
पवन कुमार –सायलान

1. पवन कुमार पुत्र सुमेसर निवासी ग्राम बनरहा जंगल पोस्ट सोनहा तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती 2. चन्द्रावती पत्नी गोविन्द प्रसाद निवासी DZM–7 1891 इन्दिरानगर तुर्भे नवी मुम्बई हाल मुकाम ग्राम बनरहा जंगल पोस्ट सोनहा तप्पा काठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती 3. निर्मला देवी पत्नी आझाराम ग्राम रमवापुर उर्फ नेबुआ पोस्ट साहपुर जनपद सिद्धार्थनगर हाल मुकाम निवासी ग्राम बनरहा जंगल पोस्ट सोनहा तप्पा काठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती 4. सुभावती पत्नी आझाराम निवासी ग्राम बनरहा जंगल पोस्ट सोनहा तप्पा काठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती 5. शकुन्तला पत्नी राजाराम ग्राम व पोस्ट भारतभारी जनपद सिद्धार्थनगर पुत्रीगण सुमेसर हाल मुकाम ग्राम बनरहा जंगल पोस्ट सोनहा तप्पा काठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 15–01–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 15–01–2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय–श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–126/2022
गंगाराम
बनाम
जिला निबन्धक/अपर जिला मजिस्ट्रेट बस्ती

1. जगनरायन 2. उदय नरायन पुत्रगण रामचरित्र साकिनान मौजा पोखरभिटवा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 17–01–2025

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इस आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्शित करने के लिये 2025 के माह 01 के 17 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुदेष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

नगर पंचायत मुण्डेरवा बोर्ड की बैठक में लगी विकास कार्यों पर मुहर

–भारतीय बस्ती संवाददाता– बस्ती। नगर पंचायत मुंडेरवा में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 14 समासद उपस्थित रहे। जिसमें अलाव, कंबल वितरण सड़क एवं नाली के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

बैठक में अध्यक्ष सुनील सिंह, अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह, मनीराम, हरीशचंद, सचिन, किस्मत अली, राम प्रकाश मिश्र, श्याम सुंदर, मिलकर, प्रमिला देवी, चन्द्र मोहन भट्ट, राधेश्याम पाल, सरिता देवी, आलोक सिंह, संध्या सिंह, सत्या देवी, मौसीना खातून, बजरंगी चौधरी, शिवम भट्ट, अभिषेक शुक्ल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं का धरना जारी

संवाददाता– संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में धनघटा तहसील परिसर में उप निबंधन कार्यालय बनवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके चलते फरियादियों को काफी समस्या हो रही है। वह अपनी समस्या लेकर तहसील पर आते हैं भटकते हैं और वापस चले जाते हैं।

तहसील पर उप निबंधन कार्यालय बनवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना 45वें दिन भी जारी रहा। लगातार धरना–प्रदर्शन होने से वादकारियों को समस्या झेलनी पड़ रही है। वह अपने मुकदमे की पैरवी को लेकर तहसील पर आते तो है लेकिन कोई कार्यवाई न होने के कारण उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है कोर्ट बंद पड़ा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि हम लोग जिलाधिकारी से मिले। धरना–प्रदर्शन किया। बुद्धि–शुद्धि यज्ञ किया, फिर भी शासन–प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी। वह दान की दी हुई भूमि में उपनिबंधन कार्यालय बनवाने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। जिसे अधिवक्ता सफल नहीं होने देंगे। जब तक उप निबंधन कार्यालय तहसील परिसर में बनवाने के लिए निर्देश जारी नहीं होगा तब तक हम लोगों का धरना–प्रदर्शन चलता रहेगा।

भारत–नेपाल सीमा पर सतर्कता के निर्देश

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती दिनेश कुमार पी ने गुरुवार को सिद्धार्थ विवि परिसर में पुलिस, एसएसबी, कस्टम, आईबी, ग्राम सुरक्षा समितियों संग गोष्ठी की। उन्होंने कहा कि भारत–नेपाल बॉर्डर पर होने वाली अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से हर समय सतर्क रहें। मानव तस्करी, नशीली दवाओं, अवैध शराब आदि की तस्करी न होने पाए। उन्होंने कहा कि थाना कपिलवस्तु पर शासन की मंशा के अनुरूप आपरेशन कवच के तहत भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 10 किमी के अन्दर आने वाले ग्रामीणों को सीमा सुरक्षा से जोड़ने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। उन्होंने गोष्ठी में शामिल उसके अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों को उनके कर्तव्य व दायित्वों का बोध कराकर जागरुक किया। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी, नशीली दवाओं, अवैध शराब, अवैध तरीके से वस्तुओं के आयात–निर्यात आदि अन्य अपराधों के संबंध में सूचनाओं से अवगत कराते रहें जिससे कार्रवाई हो सके।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान एकादशम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0 511/89
शिवपूजन
बनाम
शिवसरन आदि

1. शारदा देवी पत्नी हरीश चन्द्र 2. संदीप 3. सचिन पुत्रगण हरीशचन्द्र 4. सध्या 5. शशी पुत्रीगण हरीशचन्द्र साकिनान मौजा नकटीदेई तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–01–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जाय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 20 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जवाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रफ समायत अपील
सिविल निगरानी सं0–12/2024
अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
अलीमुल्लाह
बनाम
तुफैल अहमद आदि

1. तुफैल अहमद 2. जमील अहमद 3. रसूल अहमद 4. इरशाद अहमद वालिगान पुत्रगण स्व0 जमीउल्लाह साकिनान मुडेहरा तप्पा घोसियारी परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर पो0 सेमरी
–रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग
5. वाजिद अली पुत्र स्व0 हयात मोहम्मद उम्र लगभग 71 वर्ष साकिन मुडेहरा तप्पा घोसियारी परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर पो0 सेमरी
–रेस्पान्डेन्ट द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 22–01–2025

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 22 महीना 01 सन 2025 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुदित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com